भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1310

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2020

निजी कोचिंग सेंटर का विनियमन

†1310. डॉ. (प्रो.) महेन्द्र मुंजपराः
श्रीमती केशरी देवी पटेलः
श्री कनकमल कटाराः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कोचिंग सेंटर कानूनों के संचालन को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में इस तरह का कोई कानून नहीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या सरकार का सभी निजी कोचिंग केन्द्रों को पंजीकृत करके और देशभर में उनके लिए आवश्यक निर्देश जारी करके निजी कोचिंग सेंटरों के संचालन को विनियमित करने के लिए एक केन्द्रीय आयोग का गठन करने का विचार है और यदि हां, तो इसे कब तक गठित किया जाएगा;

(ग) देश में चलाए जा रहे कोचिंग केन्द्रों की संख्या कितनी है; और उनसे संबंधित आंकड़े क्या है;

(घ) ऐसे कोचिंग सेंटरों द्वारा छात्रों के वित्तीय शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) क्या इन कोचिंग केन्द्रों में से अधिकांश अभी तक सुरक्षा मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं;

(च) क्या सरकार का स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय-सीमा के भीतर ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी के कारण सूरत में हाल ही में एक घटना में 23 छात्रों की मौत के मद्देनजर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): निजी कोचिंग संस्थान इस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। इस मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे केंद्रों के प्रभावी विनियमन के लिए उपाय करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तथापि सर्वाधिक वंचित विद्यार्थियों के हित में सरकार ने स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम) शुरू किया है जो कक्षा 9 से स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के शंका समाधान के लिए परीक्षा, क्विज और ऑनलाइन वार्तालाप फोरम के माध्यम से संवादात्मक पाठ्यक्रम सामग्री जैसे वीडियो लेक्चर, पठन सामग्री, स्व मूल्यांकन प्रदान करता है। यह सामग्री किसी के लिए, कहीं भी और कभी भी नि:शुल्क उपलब्ध है। सरकार की एक अन्य पहल जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग (आईआईटी-पीएएल) कहा जाता है जो आईआईटी और अन्य संस्थाओं में पढ़ने के इच्छुक कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों हेतु आईआईटी के प्रोफेसर और केंद्रीय विद्यालय (केवी) के शिक्षकों द्वारा तैयार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी पर वीडियो सामग्री प्रदान करता है। यह सामग्री स्वयंप्रभा के समर्पित डीटीएच चैनलों पर नि:शुल्क उपलब्ध है।

(छ) : गृह मंत्रालय ने बताया कि अग्निशमन सेवा एक राज्य विषय है, और यह राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे आवश्यकता के अनुसार अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने और लैस करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करे, और अपने अधिकार क्षेत्र के नागरिकों की जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठायें। गुजरात सरकार ने बताया कि अग्नि सुरक्षा के लिए और फायर क्लीयरेंस के लिए, राज्य सरकार ने व्यापक केंद्रीय विकास विनियम -2017 को दिनांक 03/10/2019 की अधिसूचना से संशोधित किया, जिसके द्वारा कोचिंग क्लास / ट्रेनिंग सेंटर / प्री स्कूल के लिए मुख्य अग्निशमन अधिकारी की एनओसी अनिवार्य कर दी गई है चाहे, प्लॉट एरिया और बिल्डिंग की ऊंचाई जो भी हो।

****